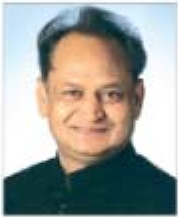

राजस्थान सरकार

#राजस्थान_सतर्क_है

कोरोना महामारी अभी खतरनाक चरण में है बचाव के लिए घर में ही रहें।

– अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

कोरोना के खतरे के मद्देनजर सरकार द्वारा लिये गये

महत्वपूर्ण निर्णय

- राज्य भर में दिनांक 22 मार्च से पूर्ण लॉकडाउन। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी पर लागू। समस्त राजकीय एवं निजी संस्थान बंद रहेंगे। रोडवेज एवं निजी वाणिज्यिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। दवाईयाँ, फल-सब्जी व किराना दुकानों पर बन्द लागू नहीं।
- खाद्य सुरक्षा अधिनियम से कवर बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. सहित इस अधिनियम में आने वाले 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 2 माह तक 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति नि:शुल्क दिया जाएगा।
- दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स एवं कच्ची बस्ती में रहने वाले जरूरतमंद परिवार, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से कवर नहीं है, उन्हें भी 1 अप्रैल से 2 माह के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री के पैकेट्स जिला प्रशासन के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- 78 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को मार्च तक के समस्त बकाया पेंशन का भुगतान अप्रैल के प्रथम सप्ताह में कर दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने निजी संस्थानों से यह अपील भी की है कि लॉकडाउन के दौरान 5 लाख से ज्यादा औद्योगिक, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक श्रमिकों को सेवा से नहीं निकाला जाना चाहिए और सेवा एवं मजदूरी में कटौती भी नहीं की जाए।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान